

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,  
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2021/एफसीए/प्रमुखसं./

दिनांक

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला एवं वनमण्डल श्रीगंगानगर में Diversion of 0.2718 ha of forest land in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD HANUMANGARH for 132 KV S/C Srivijaynagar-Jetsar (M/s NIPC) Transmission line. Distt. Sri Ganganagar, Raj. (Total Length 11701 meters) (Proposal no. FP/RJ/TRANS/119931/2021) के निर्माण हेतु 0.2718 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की शर्तों सैद्धान्तिक स्वीकृति राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 1(48)वन/2021 दिनांक 16.07.2021 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्याधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

—६०

(डॉ. डी. एन. पाण्डेय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2021/एफसीए/प्रमुखसं./

2889-97

दिनांक 4.10.21

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, कमरा नं. 218, B-216, IRO- जयपुर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, "अरण्य भवन" झालाना इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302004
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (II), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
6. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
7. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर को दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Hanumangarh SE (T&C) RVPN Hanumangarh. RSEB Colony. Satipura, Hanumangarh. Rajasthan-335512
9. रक्षी पत्रावली।

—

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)  
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

Programmer  
Jocett  
5/10/2021